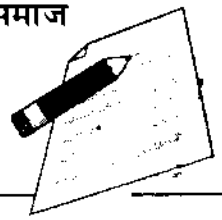

30

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ

क्या आपको सामाजिक समस्याओं की जानकारी है? समाजशास्त्री प्राय: इन समस्याओं का उल्लेख करते हैं। हमारा यह समाज कई भागों में बंटा हुआ है - जाति, उम्र और लिंग। समाज के कुछ भाग प्रभावी हैं तो कुछ गुमनाम हैं। जब कोई समाज समय के अनुसार नहीं बदलता तो इसका परिणाम होता है - समाजिक विघटन। यह विघटन सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। समाजिक समस्याएँ अमानवीय व्यवहार को जन्म देती हैं। ऐसे समाज में वंचितता आती है। समाजिक समस्या वह है, जो समाज के अधिकांश व्यक्तियों को अपनी ओर खींचती है और समाज व शासन दोनों ही तुरन्त समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

सामाजिक समस्याएँ वे हैं, जो समाज के एक महत्वपूर्ण भाग को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए समाज को सामूहिक रूप से कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

हमारे समाज में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाएं वंचित समझे जाते हैं। इनके जो अधिकार व स्वतन्त्रताएँ हैं, वे नहीं दिये जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक स्थिति समस्या तब बन जाती है, जब लोगों में चेतना आ जाती है। इस पाठ में हम वंचित लोगों की समस्याओं के बारे में समझेंगे। ये वंचित वर्ग हैं– अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- सामाजिक समस्या एवं वांचितता की परिभाषा को समझ सकेंगे;
- अस्पृश्यता का विश्लेषण कर सकेंगे; और
- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ जान सकेंगे।

30.1 अनुसूचित जातियों की समस्याएँ

क्या आप जानते हैं कि अनुसूचित जातियाँ कौन सी हैं? अनुसूचित जातियाँ वे हैं, जो परम्परागत जाति व्यवस्था में सबसे नीचे सोपान पर हैं। परम्परा से ये जातियाँ गंदे धंधों को करती थी। इसलिए उनको अपवित्र या प्रदूषित कहते थे। धंधों के साथ में गंदगी की जो धारणा जोड़ी जाती है, वही इन लोगों को अपवित्र बना देती है। अनुसूचित जातियों के साथ ये सब नाम जोड़े जाते हैं - शुद्र, दास, चाण्डाल, मलेच्छ अस्पृश्य और हरिजन। स्वतंत्र भारत की सरकार ने अर्थात राष्ट्रपति ने अक्टूबर 1950 में कई अनुसूचित जातियों को भारत के संविधान के अध्याय आठ के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अनुसार सम्मिलित किया है। इन अनुच्छेदों के अनुसार, इन समूहों के साथ विकास एवं कल्याण के लाभ दिये जाते हैं। हमारे देश में 700 से अधिक अनुसूचित जातियाँ हैं। चमार, दुसाध, डोम, पासी, मेहत्तर, महार, बलाई, आदि द्रविड़ जैसे कुछ प्रभावी अनुसूचित जातियाँ हैं। अनुसूचित जातियाँ अब अपनी पहचान दलित नाम से करती हैं। आज दलितों को ऊँचे पद दिये जा रहे हैं। वे कुछ राज्यों में मुख्य मंत्री जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में और भारत के राष्ट्रपति के पद तक आसीन हो चुके हैं। देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है। अनुसूचित जातियाँ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार आदि में अधिक पायी जाती हैं। पंजाब में 29.6 % और हिमाचल में 22.2% अनुसूचित जातियों के हैं। भारत-गंगा के मैदानों में 51% लोग अनुसूचित जातियों के हैं। पहाड़ी इलाका जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों का है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का है, इनमें अनुसूचित जाति के लोग कम पाये जाते हैं। अनुसूचित जातियों को शिक्षण संस्था, संसद, राज्यों की विधान सभा में संरक्षण प्राप्त हैं।

हम अनुसूचित जातियों की समस्याओं को निम्नलिखित तीन भागों में समझ सकते हैं:

(क) अस्पृश्यता या प्रदूषण की समस्याएँ

अनुसूचित जातियों को ऐसा काम करना पड़ता था, जो गंदा और अपवित्र था, उन्हें

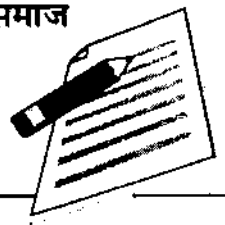

पारवाना और मरे हुए जानवरों को उठाना पड़ता था, पेशाब घर धोने पड़ते थे एवं ढेर सारी गंदगी समेटे हुए कपड़ों को धोना पड़ता था। शमशान घर पर भी उन्हें कुछ प्रदूषित कार्यों को करना पड़ता था। इन कार्यों को अपवित्र समझा जाता है इसलिए इन कार्यों के सम्पादन के साथ ये धंधे भी अपवित्र हो जाते हैं। अस्पृश्यता के परम्परागत कार्यों को अनुसूचित जातियाँ करती थी, इसलिए उनमें निम्नलिखित निर्योग्यताएँ होती हैं:

(1) **सामाजिक सम्पर्क का अभाव** : अनुसूचित जातियों के लोग गाँव की सभाओं और पूजा-पाठ में भाग नहीं लेते थे। वे पृथक, झोपड़ियों में रहते थे। उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे और ऊँची जातियों के बच्चों के साथ में नहीं खेलते थे। उन्हें विगत में अपने हाथ से ढोल बजाते हुए, गाँव की गलियों से गुजरना पड़ता था जिससे लोगों को पता लग सके कि अस्पृश्य लोग आ रहे हैं।

(2) **सार्वजनिक कुँओं और तालाबों के उपयोग पर प्रतिबन्ध** : अनुसूचित जातियों के लोग सार्वजनिक कुँओं और तालाबों से पानी नहीं ले सकते थे। इन अछूतों के अपने ही कुएँ और तालाब थे।

(3) **मंदिर प्रवेश निषेध था** : अनुसूचित जातियों के लोग पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वे न तो धार्मिक पूजा-पाठ में भाग ले सकते थे और न ही धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ सकते थे।

(4) **अन्य व्यावसायिक जातियों से सेवा ले सकते थे** : पुरोहित, कारीगर, धोबी, डोम आदि अछूत जातियों की सेवा कर सकते थे।

(5) **पके हुए खाने की अस्वीकृति** : शुद्रों द्वारा बनाये गये पके खाने को उच्च जातियाँ नहीं खाती थी। अनुसूचित जातियों के हाथ का पानी भी उच्च जातियाँ नहीं लेती थी।

(6) **दूसरों पर निर्भर रहना तथा प्रस्थिति का सामंजस्य न होना** : संविधान ने अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता से मुक्त तो कर दिया लेकिन उच्च जातियों पर उनकी निर्भरता को नहीं हटाया, इस कारण प्रस्थिति और निर्भरता में असमंजस्य है।

(ख) निर्धनता जनित समस्याएँ

अनुसूचित जातियों को एक लम्बी अवधि तक उनको आर्थिक अधिकार नहीं दिये गये, इसी कारण वे गरीब रहे और दूसरों पर निर्भर हो गये। अनुसूचित जातियों की गरीबी से जुड़ी हुई समस्याएँ निम्न हैं:

(1) **भौतिक वंचितता** : अनुसूचित जातियों को मकान, जमीन, पशु, जवाहरात

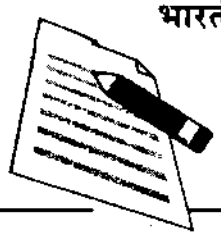

Notes

आदि नहीं दिये गये। ये सब वस्तुएँ उनके लिए प्रतिबंधित थी। इस कारण उनमें भौतिक वंचितता थी।

(2) **भूमि का अभाव :** आवास और कृषि के लिए अनुसूचित जातियों में भूमि का अभाव था। वे भूस्वामी द्वारा दी गयी भूमि पर कृषि मजदूर की तरह काम करते थे। इस प्रकार वे थे- बंधुआ मजदूर।

(3) **शैक्षणिक पिछड़ापन :** वंचितता और सामजिक-आर्थिक निम्न दशाओं के कारण अनुसूचित जातियों के लोग स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाये। आजादी के बाद इन जातियों के लिए स्कूल के दरवाजे खुले। इसके बावजूद पिछड़ी जातियों के लोग पर्याप्त मात्रा में शिक्षा का लाभ नहीं ले पाये।

(4) **रोजगार और सरकारी नौकरी :** स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कुछ अनुसूचित जातियों के लोग सरकारी नौकरियों में जैसे कि सफाईकर्मी, चौकीदार, और चपरासी की तरह काम करने लगे हैं। अब कुछ लोगों ने उच्च शिक्षा पूरी कर अच्छे पद प्राप्त किए हैं। इन जातियों में अधिकांश लोग कृषि मजदूर की तरह काम करते हैं और यहाँ पर भी उनकी पगार को लेकर शोषण होता है।

(5) **ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूर :** अनुसूचित जातियों के बहुसंख्यक परिवार दिन में दो जून खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पाते। इस कारण अपने जीवनयापन के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है परन्तु बैंक कर्जा नहीं देते। होता यह है कि अनुसूचित जातियों के लोग अपने नियोजक से ऊँचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं। परिणामस्वरूप वे कर्ज में ली गयी राशि के ब्याज को भी नहीं चुका पाते, परिणामस्वरूप उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करना पड़ता है। बंधुआ मजदूर की स्थिति में उन्हें नाम-मात्र का वेतन दिया जाता है।

(6) **स्वास्थ्य और पोषण :** अनुसूचित जाति के लोगों के पास न तो उचित पेशाब घर होता है और न शौचालय और न ही गंदगी के निकास हेतु समुचित नाली की व्यवस्था। वे गली में गोबर डाल देते हैं, घर का कूड़ा-कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। उनके पास न तो कुँआ होता है और न पीने के पानी के लिए हैंडपम्प। वे अस्वास्थ्यकारी दशाओं में रहते हैं। गरीबी के कारण वे कुपोषण के भी शिकार होते हैं।

(7) **अत्याचार :** अनुसूचित जातियों को अत्याचार भी सहना पड़ता है। उनके जानवरों एवं मकानों को अकसर जला दिया जाता है उनसे बकरा व मुर्गा छीन लिया जाता है और स्त्रियों का अपमान किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है या मार दिया जाता है। जब कभी वे अपने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की गुहार करते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है।

(ग) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955

भारत के संविधान के 17वें अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 है। संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध माना है। नौकरी, पीने के पानी का भण्डारण, पूजा-पाठ करना, चाय की दुकान व होटल पर काम करना, रेलगाड़ी या बस में यात्रा करना, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करना, अस्पताल में भर्ती होना आदि क्षेत्रों में प्रवेश बंद करना अस्पृश्यता का क्षेत्र है। इन सब अस्पृश्यता गतिविधियों पर सरकार सजा देती है और जुर्माना करती है।

अस्पृश्यता अपराध संशोधन तथा विविध अधिनियम, 1976 में दण्ड का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। एक बार अपराध करने पर न्यूनतम और अधिकतम एक माह तथा छः माह की सजा है। न्यूनतम एवं अधिकतम जुर्माना 100 रुपया और 500 रुपया है। दूसरी बार अपराध करने पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना या छः महीने की सजा है। तीसरी बार और उसके बाद अपराध करने पर एक वर्ष की सजा तथा 200 से 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इन सब निषेधात्मक कार्यवाहियों के होते हुए भी अस्पृश्यता आज भी दिखायी देती है। गाँवों में तो यह यथावत है। शहरी क्षेत्रों में भी यह प्रचलित है। यद्यपि इसका स्वरूप मानसिक स्तर पर ही है।

पाठगत प्रश्न 30.1

(i) वंचितता गरीब और निर्भर व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतन्त्रता को........... लेती है। (देना/छीन लेना)

(ii) अनुसूचित जातियाँ...................व्यवसाय करती है। (पवित्र/प्रदूषित)

(iii) अनुसूचित जातियों को ....के कारण निर्योग्यताओं को सहना पड़ता है।

(iv) अनुसूचित जातियों द्वारा पका हुआ खाना......................किया जाता था। (किया जाता था / नहीं किया जाता था)

(v) अनुसूचित जातियाँ पानी......................कुँओं से नहीं भर सकते थे। (सार्वजनिक/निजी)

30.2 अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ

क्या आपने अनुसूचित जनजातियों के बारे में सुना है। अनुसूचित जनजातियाँ वे हैं, जो

हमारे समाज की जाति व्यवस्था से बाहर है। वे पहाड़ों, जंगलों, तटीय गाँवों, मरुस्थलीय स्थानों और टापुओं में मिलते हैं। उनकी स्वयं की संस्कृति और सामाजिक संगठन हैं। किसी जमाने में उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी। समय के बदलाव के साथ में इन समूहों में से कुछ ने हिन्दू, इस्लाम व इसाई धर्म को अपना लिया है। आदिवासी कला, नृत्य और करीगरी का अपना एक विशेष स्थान है। आदिवासी लोगों में बहुविवाह और एकल विवाह की परम्परा है। कुछ अदिवासी बहुपति विवाह अपनाते हैं। इन आदिवासियों में टोडा, और खासा जोनसर बावर में पाये जाते हैं। सामान्यतया आदिवासी समाजों में पितृस्थानीय विवाह अधिक होते हैं लेकिन मातृ स्थानीय विवाह का प्रचलन भी उनमें हैं। मातृ स्थानीय परिवारों में खासी, जयन्तियाँ और गारो हैं। इन आदिवासियों की परम्परागत अर्थव्यवस्था– फल इकट्ठे करना, शिकार करना, मछली मारना और कृषि है। उनके साप्ताहिक बाजार यानी हाट होते हैं। इससे पहले उनमें वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। लेकिन आज भी उनमें थोड़ा बहुत विनिमय होता है। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था जीविकोपार्जन की होती है, मुनाफे की नहीं।

हमारे देश में लगभग 461 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। इन समूहों में 75 ऐसे समूह हैं जिनकी पहचान आदिम जनजातीय समूह के रूप में की जाती है। इनकी इस समूह के रूप में पहचान इसलिए होती है चूंकि इनकी जनसंख्या कम है। इनमें साक्षरता का प्रतिशत कम है और इनकी कृषि तकनीकी बहुत सामान्य है। हमारे यहाँ अनुसूचित जन जातियाँ कोई 8 प्रतिशत हैं।

आज अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ आदिवासी धर्म को अपनाती हैं। उनमें ऐसे समूह भी हैं जो हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम और इसाई धर्म के अनुयायी हैं। अन्य धर्मों को अपनाने के कारण इन आदिवासियों ने आदिवासी रीतिरिवाज, परम्परा, त्यौहार, कला, नृत्य आदि को छोड़ दिया है। कई आदिवासियों के रिवाज आज लुप्त हो गये हैं। उदाहरण के लिए, अखरा और युवा गृह जैसी संस्थाएँ दिखायी नहीं पड़ती। अब तो आदिवासी लड़कियों के गैर-आदिवासी लड़कों के साथ विवाह हो रहे हैं, परिणामस्वरूप इनकी पहचान की समस्या गंभीर हो गयी है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक सम्पर्क, औद्योगीकरण आदि के कारण आदिवासी जीवन पद्धति कमजोर पड़ रही है। ये आदिवासी अपने क्षेत्र की स्वायत्तता के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं।

(1) **जंगल से जुड़ी समस्याएँ:** जंगलों में जहाँ आदिवासी पहले रहते थे वे शिकार करते थे, कारीगरी के काम करते थे। वहाँ आज अदिवासी जंगल से कुछ बना नहीं सकते। आज जंगल में कई आदिवासी रहते हैं परन्तु वे जंगल की लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। जंगल में वे आर्थिक गतिविधियाँ भी नहीं कर सकते।

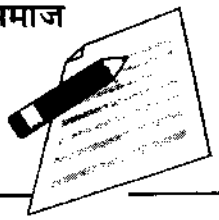

Notes

(2) **कृषि की समस्या:** कुछ आदिवासी जो खेती करते हैं, उन्हें कृषि सम्बन्धित आदिवासी कहते हैं ये आदिवासी हैं– ओरावँ, मुण्डा, हौ, संथाल आदि। आदिवासियों की कृषि भूमि पहाड़ियों, जंगल और तलहटियों में पायी जाती हैं। वे जिस भूमि में खेती–बाड़ी करते हैं, वह पहाड़ी जमीन होती है। पहाड़ी जमीन को जोतने के तरीके अलग हैं। पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई की निश्चित सुविधा नहीं होती। इस भाँति कृषि कार्य लोगों को पूरे वर्ष के लिए रोजगार नहीं देता। परिणामस्वरूप आदिवासियों को सालभर कृषि द्वारा पैदाइस नहीं मिलती। कृषि फसलें कई बार जंगली जानवरों द्वारा नष्ट भी कर दी जाती हैं। हमारे देश में गोण्ड, भील-मीणा, संथाल, औराँव, मुण्डा बहुसंख्य प्रभावी जनजातियाँ हैं।

अनुसूचित जनजाति होने के कारण आदिवासियों को विशेष लाभ मिलते हैं। ये विशेष लाभ आदिवासी उप-योजना के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

अनुसूचित जनजातियाँ हिमालय के क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में मिलती हैं। आधे से अधिक आदिवासी जनसंख्या देश के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। इन मध्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केन्द्रशासित क्षेत्रों में कोई आदिवासी नहीं रहते हैं। छः राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा झारखण्ड, गुजरात और राजस्थान में प्रत्येक राज्य में 50 लाख आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को जोड़कर आदिवासियों की जनसंख्या बहुत अधिक है।

(3) **भूमि अलगाव :** ब्रिटिश काल से लेकर आदिवासियों की भूमि को रेल, आवासीय बस्तियों, बाज़ार, अस्पताल आदि के लिए लिया जाता रहा है। बाहरी लोगों ने आदिवासियों की जमीन को जब चाहा तब खरीदा है। इस भाँति आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों के हाथ में चली गयी।

(4) **ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी :** दिहाड़ी की रकम से ही आदिवासी परिवार अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन एक मजदूर की हैसियत से उन्हें सालभर रोजगार नहीं मिलता। परिणामस्वरूप वे अपना जीवन यापन ठीक तरह से नहीं कर पाते। उन्हें महाजन से ऊँचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। जब ये आदिवासी ऋण चुकाने में असफल रहते हैं, तब वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं।

(5) **स्वास्थ्य और पोषण की समस्या:** जब अनुसूचित जनजातियों को शिकार और पोषण नहीं मिलता वे परिवार के सदस्यों के साथ ठीक तरह से नहीं रह पाते। ऐसी अवस्था में ये आदिवासी भूखमरी की अवस्था में पहुँच जाते हैं। जिस पर्यावरण में वे रहते हैं, वह भी अस्वास्थ्यप्रद है, इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यहाँ के लोग अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ओझाओं की सहायता लेते हैं। पर्याप्त धन के अभाव में वे अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पाते।

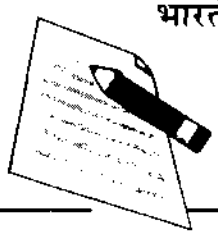

(6) **संचार का अभाव:** आदिवासी दूर-दराज क्षेत्रों में रहते हैं इसलिए सबसे बड़ी समस्या अपनी बात दूर तक पहुँचाने की है। आदिवासियों के स्वयं के कल्याण की जानकारी उन्हें नहीं होती। वे इस बात से अपरिचित रहते हैं कि उनके लिए कौन से कार्यक्रम लाभदायक हैं।

(7) **स्थानान्तरण के प्रभाव:** आदिवासियों को अपने ही राज्य में और राज्य से बाहर काम करने की समस्या होती है। जब वे शहरों में काम करने जाते हैं तब ईंट के भट्टे, छोटे उद्योग और दिहाड़ी पर काम करते हैं। स्थानान्तरित श्रमिक की तरह उन्हें दबाया जाता है, उनका शोषण होता है। न्यूनतम दिहाड़ी अधिनियम के अनुसार, उन्हें पगार नहीं मिलती। उन्हें नियम के विरुद्ध लम्बे समय तक काम करना पड़ता है।

(8) **शिक्षा का अभाव:** बहुत बड़ी संख्था में आदिवासी परिवारों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, उनके लिए शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण रोटी का जुगाड़ करना है। सरकार ने उनके लिए आश्रम स्कूल खोले हैं लेकिन वे इन स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती नहीं करवा सकते। इन स्कूली बच्चों को अपने घर में भी काम करना पड़ता है और इस तरह वे स्कूल में पढ़ नहीं सकते। इन परिवारों में स्त्री अशिक्षा बहुत अधिक होती है। धर्मान्तरित आदिवासियों में साक्षरता और शिक्षा अधर्मान्तरित परिवारों की तुलना में अधिक होती है।

(9) **आदिवासियों का विस्थापन:** कई औद्योगिक शहरों जैसे– रांची, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राऊरकेला आदि को बसाने के लिए आदिवासियों से उनकी जमीन लेकर उन्हें विस्थापित कर दिया गया। उन्हें केवल निवास के लिए मुआवजे के रूप में पैसा दिया गया। इसका परिणाम भी सही नहीं निकला। कुछ परिवार समाप्त हो गये तो कुछ दुखी जीवन बिता रहे हैं।

(10) **पहचान की समस्या:** ब्रिटिश युग से लेकर आदिवासी अपनी पहचान के लिए चेतन रहे हैं। उन्होंने जागीरदारों, जमींदारों और ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन चलाये हैं। बिहार के छोटा नागपुर में मलेर आंदोलन (1770), हो आंदोलन (1821), ग्रेट कोल आंदोलन (1831), और संथाल आंदोलन (1855) हुए हैं। आजादी की लड़ाई (1857) में आदिवासियों ने आंदोलन किये हैं।

पाठगत प्रश्न 30.2

निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत बताइए:

(1) अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर मैदानों में पायी जाती हैं। (सही/गलत)

(2) अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश के मध्य भाग में ज्यादा केन्द्रीत हैं। (सही/गलत)

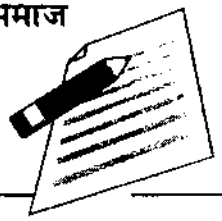

Notes

(3) शिकार और फल इकट्ठा करना आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ थी। (सही/गलत)

(4) तलहटी की भूमि को दोन भूमि कहते हैं। (सही/गलत)

(5) आदिवासियों को भूमि अलगाव और विस्थापन की समस्याएँ सहनी पड़ती है। (सही/गलत)

आपने क्या सीखा

- अनुसूचित जातियाँ हमारे समाज की अंग थी लेकिन गंदे व्यवसायों के कारण उन्हें अस्पृश्य समझा गया। वे अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता से वंचित हो गये। उन्हें कई निर्योग्यताओं का शिकार बनना पड़ा।
- अनुसूचित जनजातियाँ भारतीय व्यवस्था की आन्तरिक अंग नहीं थी। वे प्राचीन लोग थे, जो पहाड़ों, जंगलों और सागर तटीय क्षेत्रों में रहते थे। वास्तव में उनका निवास जंगलों और जंगल के क्षेत्र में था।
- अनुसूचित जातियाँ गरीब इसलिए थी कि उन्हें मकान एवं जमीन रखने की सुविधा नहीं थी। वे पालतू जानवरों को भी नहीं रख सकते थे। उनके गरीब रहने का कारण भूमि का अलगाव था। ये गरीब इसलिए भी रहे कि शहरों के लोगों ने गाँवों में प्रवेश कर लिया।
- अनुसूचित जनजातियों की गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएँ बनायी गयी हैं लेकिन यह समूह अब भी गरीब हैं।

पाठान्त प्रश्न

(1) सामाजिक समस्याओं को परिभाषित कीजिए। (100 शब्दों में)

---

(2) वंचितता की परिभाषा दीजिए।

---

(3) अस्पृश्यता की परिभाषा दीजिए। इस से सम्बन्धित पाँच निर्योग्यताओं को गिनाइए। (दो सौ शब्द)

---

(4) अनुसूचित जातियाँ किसे कहते हैं? उनकी गरीबी से जुड़ी हुई कोई पाँच समस्याएँ बताइए।

---

(5) अनुसूचित जनजातियाँ किसे कहते हैं? उनकी महत्वपूर्ण पाँच समस्याएँ गिनाइए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

30.1 (i) छिन लेना (ii) अस्वच्छ (iii) अस्पृश्यता
(iv) स्वीकार नहीं (v) निजी

30.2 (i) गलत (ii) सही (iii) सही (iv) सही (v) सही